संख्या-39-830-2025-1-24-369-001/2025/BUDGET-2021

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र 0पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये रूपये 20940.00 करोड़ के ऋण के मूलधन की आदयगी हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1478/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2025-26/468, दिनांक 27 मार्च, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये रूपये 20940.00 करोड़ के ऋण के मूलधन की आदयगी हेतु अनुदान के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 2400,00,00,000/- (रूपये दो हजार चार सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2025 से माह मार्च, 2026 तक प्रत्येक माह में धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) की बारह समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंधमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 की शर्तो /दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की किश्त के व्यय विवरण उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित अगली किश्त का मांग पत्र देय तिथि से तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

(6) प्रथम किश्त के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 24,00,00,00,000 (रुपये चौबीस अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 2801051900301 आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा पी.एफ.सी. एवं आर.ई.सी. से प्राप्त किये गये रू. 20,940 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-2-X-2025-26-दिनांक: 09-04-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-39 /2025/001-369(1)-24-1-2025-830-BUDGET-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।